

अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2022 (GCMS 2022/63)(आईटीआई पोर्टल नं. 212582406992235 मदन सिंह राठौड़, ओम कोलोनी, काछवाल चक्की के पास, वार्ड नं 31, चुरु - 94133-15999 बनाम तहसीलदार (राजस्व), घड़साना



25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मदन सिंह राठौड़ स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थी मदन सिंह राठौड़ ने तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 12.01.2022 से बारह बिन्दुओं की सूचना दिनांक चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैंने, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मदन सिंह राठौड़ ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.01.2022 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), घड़साना से निम्न सूचना चाही थी:

1. श्रीमानजी, राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करे।
2. श्रीमानजी, प्रथम अपील प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता(निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करे।
3. श्रीमानजी तहसील कार्यालय घड़साना का नोटिस क्रमांक स्थापना/2021/1393 दिनांक 31.12.2021 प्राप्ति दिनांक 10.01.2022 उक्त नोटिस प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत।



जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के कर्मचारी एवं अधिकारी के हाजिरी रजिस्टर माह सितम्बर 2019 से माह सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।
5. श्रीमान कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई हेतु लेगा फिलिंग स्टेशन घड़साना को आप द्वारा इनडेन्ड क्र. सं. 01786 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।
6. श्रीमानजी लेगा फीलिंग स्टेशन घड़साना द्वारा प्राप्त एचएसडी बिल क्र.सं. 51182 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।
7. श्रीमानजी, कार्यालय की वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की लोग बुक सितम्बर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
8. श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना क्षेत्र के 11 एआरएम की जरीब द्वारा सीमा ज्ञान के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश श्री नायब तहसीलदार श्री विनोद पूनिया, श्री शिवराज गिरदावर, श्री दीपक पटवारी, श्री ओम पटवारी एवं मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक की दिनांक 11.09.2020 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति प्रदान करे।
9. श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की मरम्मत माह अक्टूबर 2019 से माह सितम्बर 2020 तक श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक द्वारा आपके मौखिक आदेशों की पालना में करवाया गया मरम्मत कार्यों के बिलों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।

-3- अपील सूचना अधिकार संख्या 17/2022

10. श्रीमानजी कार्यालय तहसील (राजस्व) घड़साना में कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड वाहन चालक के यात्रा भता बिल माह अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।
11. श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घड़साना के वाहन चालक के पद पर प्रतिनियुक्त कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड वाहन चालक के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 11.09.202 की प्राप्ति रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।
12. श्रीमानजी तहसीलदार (राजस्व), घड़साना में कार्यालय मे रहे वाहनो पर वाहन चालकों की 2001 से 2021 तक शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।

तहसीलदार (राजस्व), घड़साना ने अपने पत्र क्रमांक विविध/सू.का.अ.

/2022/202 दिनांक 10.02.2022 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र सं.	चाही गई सूचना	सूचना
1.	श्रीमानजी, राज्य लोक सूचना एवं लोक सूचना अधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता (निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करे।	दानाराम, तहसीलदार (राजस्व) घड़साना पता:- तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर फोन नं. 01506-250770
2.	श्रीमानजी, प्रथम अपील प्राधिकारी का पूरा नाम, पदनाम एवं पूर्ण पता(निवास एवं कार्यालय) फोन नम्बर सहित प्रदान करे।	श्रीमती रूक्मिणी रियार सिहाग, पदनाम-जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पता- कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर फोन नं. 0154-2440988
3.	श्रीमानजी तहसील कार्यालय घड़साना का नोटिस क्रमांक स्थापना/2021/1393 दिनांक 31.12.2021 प्राप्ति दिनांक 10.01.2022 उक्त नोटिस प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने हेतु निम्न दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत।	चाही गई सूचना का विवरण निम्नानुसार संलग्न है।
4.	श्रीमानजी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घड़साना के कर्मचारी एवं अधिकारी के हाजिरी रजिस्टर माह सितम्बर 2019 से माह सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।	चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-32

**जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर**

5.	श्रीमान कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना का वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की एच.एस.डी. सप्लाई हेतु लेगा फिलिंग स्टेशन घडसाना को आप द्वारा इनडेन्ड क. सं. 01786 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित प्रति प्रदान करें।	चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-01
6.	श्रीमानजी लेगा फीलिंग स्टेशन घडसाना द्वारा प्राप्त एचएसडी बिल क. सं. 51182 दिनांक 14.09.2020 की प्रमाणित फोटो प्रदान करें।	चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-02
7.	श्रीमान जी, कार्यालय की वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की लोग बुक सितम्बर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-104
8.	श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व), घडसाना क्षेत्र के 11 एआरएम की जरीब द्वारा सीमा ज्ञान के लिए जारी किये गये कार्यालय आदेश श्री नायब तहसीलदार श्री विनोद पूनिया, श्री शिवराज गिरदावर, श्री दीपक पटवारी, श्री ओम पटवारी एवं मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक की दिनांक 11.09.2020 की दैनिक डायरी की प्रमाणित प्रति प्रदान करे।	संबंधित कार्मिको की दैनिक डायरी की दिनांक 11.09.2020 की प्रतिलिपि चाही गयी है। जिसके संदर्भ में लेख है कि कार्मिको का दैनिक डायरी की निर्धारित प्रतिलिपि अनुसार शुल्क नियमानुसार जमा करवाया जाना अपेक्षित है। चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-05
9.	श्रीमान जी, कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घडसाना के वाहन संख्या आरजे 13 यूए 3978 की मरम्मत माह अक्टूबर 2019 से माह सितम्बर 2020 तक श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक द्वारा आपके मौखिक आदेशों की पालना में करवाया गया मरम्मत कार्यों के बिलों की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।	चाही गयी सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-20
10.	श्रीमानजी कार्यालय तहसील (राजस्व) घडसाना में कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक के यात्रा भता बिल माह अक्टूबर 2019 से सितम्बर 2020 की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।	उक्त कार्मिक पूर्व में इस कार्यालय में प्रतिनियुक्त था जिसको वेतन एवं अन्य भतो आदि यथा यात्रा भता बिलो के भुगतान की कार्यवाही कार्मिक के मूल पदस्थापन विभाग भू जल वैज्ञानिक (सर्वेक्षण एवं अनुसंधान) भू जल विभाग, श्रीगंगानगर से किया जाता रहा है। इस कार्यालय स्तर से कार्मिक के यात्रा भता बिलों का भुगतान नहीं किया गया।
11.	श्रीमानजी कार्यालय तहसीलदार (राजस्व) घडसाना के वाहन चालक के पद पर प्रतिनियुक्त कार्यरत श्री मदन सिंह राठौड़ वाहन चालक के कार्यमुक्ति आदेश दिनांक	चाही गई सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि के कुल पृष्ठ संख्या-01

जिना कलेंकर
श्रीगंगानगर

	11.09.202 की प्राप्ति रसीद की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करें।	
12.	श्रीमान जी तहसीलदार (राजस्व), घडसाना में कार्यालय में रहे वाहनो पर वाहन चालकों की 2001 से 2021 तक शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदान करे।	वहन चालक का पद रिक्त है

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), घडसाना ने अपीलार्थी को दिनांक 10.02.2022 को उक्तानुसार दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ)** के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है **जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते हैं और न ही वे स्वयं का मत दे सकते हैं। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नहीं दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा **जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।** सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नहीं है इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि में दिनांक 10.02.2022 को उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य हैं।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), घड़साना को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि प्रियार सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीमानसगर